(245)

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग–2

संख्या– 288/36–2–2021–05(जी)/2020

लखनऊ, दिनांकः 02 मार्च, 2021

अधिसूचना

चूँकि केन्द्रीय आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4(4) (ख) (दो) में ऐसे प्रयोजन, जैसा कि केन्द्र सरकार प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में विहित करे, के लिये स्वैच्छिक आधार पर अधिप्रमाणन कराने की अनुज्ञा प्रदान की गयी है;

और चूँकि भारत सरकार ने सुशासन के लिये आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 तैयार की है जिसके अधीन राज्य सरकार स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने की अनुज्ञा प्राप्त कर सकती है;

और चूँकि कार्यालय ज्ञाप संख्या–13(4)/2020–ईजी–2(वाल्यूम–चार) दिनांक, 19 जनवरी, 2021 द्वारा भारत सरकार में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4(4)(ख)(दो) के साथ पठित पूर्वोक्त नियमावली के नियम 5 के निबन्धनों में पहचान के प्रयोजनार्थ स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने के लिये राज्य सरकार की पूर्व सहमति से उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विनिर्मित और अधिसूचित विभिन्न योजनाओं के अधीन लाभार्थियों को प्रवास प्रमाण पत्र जारी करने और मौद्रिक तथा अन्य प्रसुविधायें प्रदान करने हेतु भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण किये जाने के लिये उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को अनुज्ञा प्रदान करने के निमित्त सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवगत करा दिया है।

अतएव, अब, सुशासन के लिये आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, पहचान के प्रयोजन के लिये, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विनिर्मित और अधिसूचित विभिन्न योजनाओं के अधीन भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का रजिस्ट्रीकरण तथा नवीकरण किये जाने और लाभार्थियों को प्रवास–प्रमाणपत्र जारी किये जाने तथा मौद्रिक एवं अन्य प्रसुविधायें प्रदान किये जाने हेतु स्वैच्छिक आधार अधिप्रमाण के निमित्त उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को अनुज्ञा प्रदान करती है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पहचान की पद्धतियां पृथक–पृथक अधिसूचित करेगा, यदि दावेदार अपने आधार का उपयोग करते हुये अधिप्रमाणन कराना न चाहता हो ।

दावेदारों से संग्रहीत सहमति प्रपत्र इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची "क" में विनिर्दिष्ट है।

सुरेश चन्द्रा

अपर मुख्य सचिव

...2

Scanned with CamScanner

संख्या- 288 (1)/36-2-2021-05(जी)/2020, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना दिनांक 02 मार्च, 2021 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 (खण्ड-ख) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 150 मुद्रित प्रतियॉ श्रम अनुभाग-02, 8वां तल, बापू भवन, उ0प्र0शासन एवं 150 प्रतियॉ श्रम आयुक्त, उ0प्र0, कानपुर पेटी संख्या-220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
3. सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
4. साइन्टिस्ट 'सी', इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को कार्यालय ज्ञाप संख्या-13(4)/2020-ईजी-2(वाल्यूम-चार) दिनांक, 19 जनवरी, 2021 के कम में प्रेषित।
5. निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चिरौंजी लाल)
अनु सचिव।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड कानपुर।

पत्र संख्या :948-68 /भ0नि0प्रको0-2021 दिनांक 10 /03/2021

प्रतिलिपि :-1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त एवं प्रभारी जनपदीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2. कम्प्यूटर प्रभाग को उक्त अधिसूचना वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

10.03.2021

(अंजूलता)
अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0,
कृते श्रम आयुक्त, उ0प्र0

Scanned with CamScanner

अनुसूची "क"
सहमति प्रपत्र प्रारूप

मैं .... आधार संख्या .... धारक, यू0आई0डी0ए0आई0 के माध्यम से ई–के वाई सी के प्रयोजनार्थ यू0आई0डी0ए0आई0 के साथ आधार ओ0टी0पी0 या बायोमेट्रिक अधिप्रमाण का उपयोग करके और इसे उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के डाटा बेस के साथ सीडिंग करके उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश को अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ। मैं आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016, की धारा 7 के अधीन अधिसूचित सरकारी कल्याण योजना के लिये डी0बी0टी0 के माध्यम प्रसुविधाओं के संवितरण के लिये अपने आधार संख्या का उपयोग करने के लिये भी अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

आधार एकत्र करने की सहमति और उसके प्रयोजन के सम्वंध में मुझे स्थानीय भाषा में स्पष्ट किया जा चुका है। विभाग ने मुझे सूचित किया है कि मेरे आधार का उपयोग उपरोल्लिखित प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

मुझे केवाईसी के प्रयोजनों के लिये विभाग द्वारा अन्य वैकल्पिक साधन (वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/राशन कार्ड आदि) प्रदान किये गये हैं जिनमें आधिकारिक रूप से विधिमान्य दस्तावेज जमा करके भौतिक के0वाई0सी0 किया जाना सम्मिलित है और मैने स्वैच्छिक रूप से आधार आधारित के0वाई0सी0 चुना है।

मैं समझता/समझती हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान किये जाने वाले बायोमेट्रिक्स और/या ओ0टी0पी0 का उपयोग, मेरे द्वारा विनिर्दिष्ट संव्यवहरण हेतु न कि अन्य प्रयोजनों हेतु आधार अधिप्रमाणन प्रणाली के माध्यम से अपनी पहचान अधिप्रमाणित करने के लिये ही किया जायेगा।

व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने के लिये सहमति

मैं .... उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पहचान पत्र .... धारक, एतदद्वारा उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के डेटाबेस बनाने के लिये उपलब्ध अपने व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने के लिये अपनी सहमति देता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इस डेटाबेस का उपयोग उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और परियोजनाओं के लिये मेरी पहचान तय करने के लिए किया जायेगा।

Scanned with CamScanner